भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1351**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
सुपारी की फसल के लिए सहायता

1351. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपारी की खेती के विकास हेतु सुपारी बोर्ड स्थापित करने का विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है;
(ग) सुपारी उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी और अनुसंधान संबंधी पहलों सहित सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सहायता उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने सुपारी की खेती करने वाले किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों, जिसमें मूल्य का उतार-चढ़ाव, रोग प्रबंधन और बाजार तक पहुंच शामिल हैं, का समाधान करने के लिए कोई योजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंव एफडब्ल्यू) देश में सुपारी सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) पौधशालाओं के विकास, पौध संरक्षण, सिंचाई, सुपारी के लिए किसानों के खेतों पर प्रिकंडिशनिंग लगाने और प्रदर्शन करने संबंधी अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करता है। सुपारी के भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना सृजन से संबंधित परियोजनाओं के लिए ब्याज सहायता भी कृषि अवसंरचना निधि स्कीम (एआईएफ) के अंतर्गत उपलब्ध है।

वर्तमान में सुपारी का अनुसंधान और विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीपीसीआरआई) के विट्ठल (कर्नाटक), काहिकुची (असम) और मोहित नगर (पश्चिम बंगाल) में स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा किया जाता है। संस्थान ने सुपारी की खेती के लिए आशाजनक किस्में जैसे लंबी किस्में, अर्ध लंबी किस्में और बौनी संकर किस्में विकसित की हैं । सीपीसीआरआई ने सुपारी में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव, बौने संकरों और रोग सहिष्णु किस्मों के बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने के लिए टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल, सुपारी के मौसम और लीफ स्पॉट रोग के बीच तालमेल स्थापित करने, सुपारी में रोगों, कीटों और पोषक तत्वों की कमी के निदान और प्रबंधन के लिए आईओटी गैजेट विकसित करने के संबंध में परिचालन प्रक्रिया को मानकीकृत किया है ।

डायरेक्टरेट आफ अरेकानट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट (डीएएसडी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके मौजूदा सुपारी बागानों में बहु-प्रजाति फसल की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। निदेशालय केरल, कर्नाटक के चयनित क्षेत्रों में फल सड़न के प्रबंधन में नए कवकनाशी मैंडीप्रोपमिड के प्रभाव को प्रदर्शित करता है और सुपारी में रूट ग्रब्स के प्रबंधन में ईपीएन (एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड) के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन भी करता है।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार रोगों की गंभीर घटना होने पर हस्तक्षेप करता है और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 में कृषि मंत्रालय, (डीए एंव एफडब्ल्यू) ने कर्नाटक में सुपारी लीफ स्पॉट रोग के प्रबंधन के लिए एमआईडीएच योजना के तहत 3700.00 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की।

भारत सरकार उन कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित करती है जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं और जो मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं। हस्तक्षेप का उद्देश्य उच्चतम आवक अवधि के दौरान अत्यधिक फसल होने की स्थिति में उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक फसल बीमा योजना है जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उत्पन्न फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों के लिए भारत में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सुपारी की फसल को कर्नाटक में पुनर्गठित मौसम फसल आधारित बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूसीबीआईएस) के अंतर्गत भी कवर किया गया है।

*****